

हरियाणा सरकार ने शवों के नपिटान पर वधियक वापस लिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने वपिक्षी दलों की आपत्तक के बाद [हरियाणा माननीय शव नपिटान वधियक, 2024](https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/haryana-government-withdraws-bill-on-disposal-of-bodies) को वापस ले लिया ।

मुख्य बदि:

- वधियक के अनुसार, कसिी पुलसि स्टेशन के प्रभारी अधकिकारी कोशव को अपने कबजे में लेने की शकत होगी यद उसके पास "व्यकतगित ज्ञान या अन्यथा" से यह वशिवास करने का कारण हो क शव का उपयोग परिवार के कसिी सदस्य या व्यकतयों के समूह द्वारा वरिध के लयि कयिा जा सकता है ।
- मुद्दा यह उठाय़ा गया क वधियक में प्रभावति पक्ष के लयि कोई उपाय उपलब्ध नहीं है क्योकि कारयकारी मजसि्ट्रेट ने शहरी स्थानीय नकिय या ग्राम पंचायत द्वारा कसिी शव के दाह संस्कार पर आदेश पारति कयिा था, यद परिवार ने ऐसा करने से इनकार कर दयिा था ।
 - वधियक में कारयकारी मजसि्ट्रेट के आदेश के खिलाफ कोई अपील का प्रावधान नहीं था ।
- इससे पहले, वधियक का उद्देश्य मृतकों का सभ्य और समय पर अंतमि संस्कार सुनशिचति करना था ।
- कसिी मृत व्यकत के प्रत सम्मान और प्रतषिठा को ध्यान में रखते हुए, कसिी को भीमृत शरीर का समय पर अंतमि संस्कार न करके कसिी भी वरिध या आंदोलन के माध्यम से कोई भी मांग उठाने या कसिी भी मांग को आगे बढ़ाने का प्रलोभन देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहयि ।
- कसिी भी व्यकत को कसिी भी रूप में कसिी नकिय को वरिध या प्रदर्शन के साधन के रूप में उपयोग करने से रोकना आवश्यक है ।
 - प्रस्तावति कानून उन मामलों में सार्वजनकि अधकिकारयों की ज़मिेदारी पर भी ज़ोर देता है जहाँ परिवार के सदस्य कसिी शव को अस्वीकार कर देते हैं, जसिसे उचति अंतमि संस्कार से इंकार कर दयिा जाता है ।
- यह ध्यान रखना उचति है क भारत के संवधिान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, गरमि और उचति व्यवहार का अधकिकार न केवल जीवति व्यकत को बल्क उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को भी मलिता है ।

अनुच्छेद 21

- यह घोषणा करता है क कानून द्वारा स्थापति प्रक्रयिा के अलावा कसिी भी व्यकत को उसके जीवन या व्यकतगित स्वतंत्रता से वंचति नहीं कयिा जाएगा । यह अधकिकार नागरकियों और गैर-नागरकियों दोनों के लयि उपलब्ध है ।
- जीवन का अधकिकार केवल पशु अस्ततिव या जीवति रहने तक ही सीमति नहीं है बल्क इसमें मानवीय गरमि के साथ जीने का अधकिकार और जीवन के वे सभी पहलू शामिल हैं जो मनुष्य के जीवन को सार्थक, पूर्ण तथा जीने लायक बनाते हैं ।